TENDER DATE EXTENDED DUE TO SOME SOME AMENDMENTS IN TECHNICAL BID DOCUMENT

1.	Last date &time of sale of tender documents and bids can be submitted	08.08.2024 up to 05:00 pm
2.	Last date &time up to which EMD & tender fee & MD RISL FEE can be submitted	09.08.2024 up to 03:00 pm
3.	Date and time of opening of Technical bid	10.08.2024 up to 02:00 pm

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur - 302015 EPABX No.: 91-0141-2713666-69, Fax No.: 0141-2711075

Email: jaipurdairypurchase@gmail.com www.jaipurdairy.com

निविदा संशोधन सूचना

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर दूध एवं अन्य सभी ताजे दूध उत्पादों के वितरण हेतु ई-निविदा की दिनांक 09/07/2024 को प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया गया | मीटिंग में निविदादाताओं से प्राप्त सुझावों का अवलोकन करने के पश्चात् कमेटी सदस्यों के द्वारा निविदा में निम्नासुर आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :-

	क्र	प्री बिड मीटिंग में दिए गए सुझाव	निविदा में इससे सम्बिन्धित शर्त	-3-0
	संख्या	1	मापदा स इसस साम्बान्यत शत	कमेटी सदस्यों का मत एवं संशोधन
	1	अनुभव एक वर्ष की जगह 2 वर्ष करवाने के लिए को	l la la calacteria de l	
	'	अंगिरित केमी में अनुकार उन्हें न्यू कर्रवान के लिए की	- Upload work experienc	DEITH DINITE IS 1851
		ऑपरेटिव डेयरी में अनुबन्ध अवधि पूर्ण नहीं होने के	certificate for one year of Co)- (100)- (200)-
- 1		कारण अनुबन्ध पूर्ण करने योग्य निविदादाता को ई	operative Union for Milk &	^X यथातत राजा जांचा गाञ्चातिच वै ।
		मान्यता दी जाय।	 Milk Products distribution work. 	1
Ī	2	सप्लाई वाहन मॉडल सभी टेण्डरों 2018 के स्थान 2015	The agreement of distribution	1 20 2 00 2
	_	पूर्व निविदा अनुसार निर्धारित किया जाय।	can be repudiated at any time	The state of the s
		रूप । । पदा अनुसार । । पतारस । पत्रपा जाप	if the vehicle is not found	, 4, 1012 01112 0111 016 1 011 010 01
			conforming to the	्र २०१४ किया जाना प्रस्तावित ह
1			specifications prescribed or is	
			not in fit condition. The	
			vehicle should not be clder	
			more than 2018.	भी प्रकार के कोई नियम तथा दिशा
				निर्देश जारी किये जाते है तो
				संचालित वाहन राज्य सरकार एवं
				परिवहन विभाग के नियमों के
				अनुसार बदलना होगा । साथ ही
				वाहन की दक्षता/ उपयुक्तता का
1				वार्षिक प्रमाण पत्र राज्य सरकार के
İ				नियमो के अनुसार प्रस्तुत करना
				होगा एवं संघ के यातायात अनुभाग
			,	से फिटनेस एवं इंसुलेशन का हर 6
				महीने में परिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत
				करना होगा । लगाए जाने वाले
		,		वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा जारी
		,		मापदंड एवं नियम लागु होंगे∤
:	3	जीएसटी टर्नओवर ग्रामीण मार्ग पर सप्लाई कार्य के लिए	GST Turnover of last Two	निविदा में टर्नओवर 10 लाख किया
		1.00 करोड़ सालाना का किया जाय।	years should be minimum	जाना प्रस्तावित है जिससे निविदा में
		. •	Rs. 05.00 Lacs.	प्रिंिष्ठित फर्मो की भागीदारी
				सुनिचित हो सके क्योंकि सीधा
				मामला आम जान से जुड़ा हुआ है
	1		success of	एवं दूध की सप्लाई एक अति
				आव रशक सेवा में शामिल कार्य है।
H	4	यह कि पार्टी द्वारा वर्तमान कार्यरत जोन में पुनः कार्य	The successful applicant /	इसे निविदा में यथावत रखा जाना
1	'			प्रस्तावित है।
		4/1 4/1 1/4/1 1 44/ 1/ 6) 4/1 14/1/// (Balik	an agreement in the	2000 100 61
		Guarantee Extension, 47,4147	prescribed form and	
100		111441/9134 4 11 1160 11 11 91 11 41651 114 111	deposit cash security	
	3.1	जवर नार दा बरा जानवा में दुरा । बन्म मह जा नम सार	and Bank Guarantee	
	1 V 1	कम है तो शेष बैंक गारन्टी राशि की बैंक गारन्टी	and Dark Guarantee	

Nis/

	N			
/	1	अतिरिक्त जमा करानी चाहिए।	(valid for (30 months) 2.	F
			<u>years</u>) in a prescribed	2
			manner as specified in	
			Ommon dia A	'
	5	टेण्डर शर्तों में सुरक्षा राशि एवं बैंक गारन्टी पूर्व प्रचलित	Montinged	ا المام الما
		ानवम शतानुसार (RTPP) की गणनानुसार उन्नी जाहे	annondiy A	
		े क्यांक वर्तमान में जारी निविद्या में अपेग्रिटक्य में जो क्षेत्र		गारंटी इसलिए ली जाती है ताकि
		ागरन्टा, सुरक्षा राशि एवं खाली केटों की गणना नहीं का		कार्य शुरू होने से पहले ही
		ं अनुमानित रुप से की गयी है। कपया पूर्व की भांति ही		अविश्यक सुरक्षा उपलब्ध हो जाए
		बैंक गारन्टी एवं सुरक्षा राशि निर्धारित की जावे।		जिससे सप्लाई प्रक्रिया बिना किसी
				विलंब या रुकावट के आगे बढ़
				सके। सुरक्षा राशि और बैंक गारंटी
				राशि को कम नहीं किया जाता है
				क्योंकि यह दुग्ध संघ को सुरक्षा
				प्रदान करता है एवं संघ को नुकसान
				से बचाने की सुनिश्चितता होती है। इसे निविदा में यथावत रखा जाना
-				प्रस्तावित है।
	6	शर्त संख्या 96 ग्रामीण मार्ग में दूध चोरी के सम्बन्ध में पूर्व	If staff of Distributor's firm is	This condition 96 will be read as
		का भारत गटपास से अतिरिक्त उत्पाद की राष्ट्रि का 25	found guilty of theft of milk & milk	"If staff of Distributor's firm is
		गुणा शास्ती वसली का प्रावधान ही रखा जाय क्योंकि	products a penalty of 11,000 would be imposed along with	found guilty of theft of milk & milk
		गलता दाना तरफ से होती है सुपरवाईजर / सरक्षा गार्ड	penalty of 25 times of the value	products a penalty of 11,00 would be imposed along with
		एवं ड्राईवर।	of milk & milk products would be	penalty of 30 times of the value
			imposed on distributor firm after	of milk & milk products would be
			approval from competent authority.	imposed on distributor firm after approval from competent
H				approval from competent authority.
1.	7	शर्त संख्या-85 ग्रामीण मार्ग में नयी शर्तों में आंशिक	Condition 85. Any person	Condition no. 85 is delated
		संशोधन किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी से	driver/ worker/ representative misbehaves with security,	and replaced with condition
		झगड़ा फसाद की घटना की पहले पूर्ण निष्पक्ष जांच की	Jaipur Dairy staff in Jaipur	no. 97. Condition no. 97 will
		जानी चाहिए। तत्पश्चात जो भी दोषी पाया जाय उसे दण्डित किया जाना चाहिए।	Dairy it will be view seriously	be read as "If distributor or
		दाण्डत किया जाना चाहिए।	and suitable penalty can be	his staff is found guilty of
			imposed on Transporter/	misbehaving with staff of
			Distributor, and gate entry can be banned.	Jaipur Dairy legal action may
			can be banned.	be taken against firms' staff
			Condition 97. If distributor or	after enquiry and approval of
			his staff is found guilty of	competent authority.
			misbehaving with staff of	
			Jaipur Dairy a penalty of	
			Rs.5,000 would be imposed after enquiry for first time.	
			Penalty of 11,000 would be	
			imposed for second time &	
			distributor's firm would be	
			suspended after enquiry if	
			found faulty at third time after	
			approval from competent authority.	
				,
1	8	10 (10) 30 (4 33 Miller 111 11 141 1101 47		Now condition no. 98 will be
_		अपयान रखा गया है। पर यदि Distributor have to do	bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at	read as "Distributor have to
14.7		time bounded supply of milk & milk products.	booth/shop agency/parlour with	do time bounded supply of
		If late supply is done at booth/shop agency/	reference to dedicated time of	milk & milk products. If late
	2.	Tarious with reference to accreated time of	supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk	supply is done at booth/shop
			& milk products would be	agency/parlour with
	N. N.		/	1/



imposed on distributor after times of value of milk & milk products would reference to dedicated time enquiry approval of competent be imposed on distributor after enquiry of supply decided by Jaipur authority. approval of competent authority." में यह शर्त सही Dairy. Penalty of would be 99. If any complaint is received नहीं है कि कोई भी वितरक यह नहीं चाहता है कि उसके from booth/shop agency/parlour imposed on distributor after आवंटित कार्यक्षेत्र में सप्लाई देरी से हो। सप्लाई देरी से regarding late supply or not enquiry approval होने के कई कारण हो सकते हैं यथा- वाहन में तकनीकी supply of milk & milk products a competent authority". penalty of Rs.1,100 would be खराबी, दर्घटना, आपातकालीन परिस्थिति, जयपुर दुग्ध imposed for first time. Penalty of संघ से वाहन का देरी लोड होकर सप्लाई के लिए रवाना 2,100 would be imposed for Now condition no. 99 will be second time & Penalty of 5,100 होना इत्यादि कारण से आवंटित क्षेत्र में सप्लाई देरी से की read as "If any complaint is would be imposed for third time है इसके लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा जाय। इसके लिए received from booth/shop after investigation of complaint if उसको प्रथम एवं द्वितीय नोटिस दिया जाकर यदि उसकी firm found faulty. agency/parlour regarding कार्यशैली में सुधार नहीं किया जाय तो उसे निलम्बित late supply or not supply of करने की कार्यवाही की जाय नांकि उस पर उत्पादों की milk & milk products penalty दो गुना शास्ती वसली जाय। would be imposed after investigation of complaint if firm found faulty. शर्त संख्या 101 ग्रामीण मार्ग में नयी शर्तों में आंशिक 9 If staff of distributor is found Now condition no. 101 read consuming prohibiting substance संशोधन किया जाय कि किसी भी वितरण स्टाफ द्वारा as " If staff of distributor is in Jaipur Dairy premises a प्रतिबन्धित उत्पादों का खुले में सेवन कर गन्दगी फैलाई found consuming prohibiting penalty of Rs.1,100 would be जाती है अथवा डेयरी कार्य में वाधा उत्पन्न की जाती है तो substance in Jaipur Dairy imposed for first time. Penalty of 2,100 would be imposed for जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर उसे दण्डित किया जाय। premises a penalty of Rs.200 second time & Penalty of 5,100 would be imposed and action would be imposed for third time. may be taken as per COTPA If staff found consuming prohibit substance (Cigratte, Tambacco, Act 2003 after approval of Weed etc.) fourth time. Staff competent authority. would be terminated. If staff found consuming prohibit substance fifth time. Distributors firm would be suspended after approval from competent authority. The distributor will have to शर्त 102 को अब इस प्रकार शर्त संख्या 102 ग्रामीण मार्ग में जो नयी शर्तों का प्रावधान 10 submit a copy of the driver's संशोधित किया जाता है ''यदि रखा गया है। उससे वाहन चालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ license. If the driver is वितरक द्वारा चालक बदला जाता है सकता है क्योंकि डाईवर मिलना इतना आसान नहीं है changed, distributor will have तो 24 घंटे के अंदर अनुभाग क्योंकि हर किसी की एक मजबूरी होती है। इस शर्त में to submit his license copy अधिकारी को इसकी जानकारी आंशिक संशोधन किया जाय कि यदि वितरक द्वारा वाहन and take approval. If a driver कारण सहित लिखित में उपलब्ध चालक बदला जाता है तो उसके लाईसेन्स एवं पहचान is found different from करनी होगी | एवं 2 दिन के अंदर authorized one, a penalty of पत्र की जानकारी विभाग अधिकारी को एक अथवा दो Rs.2,100 will be imposed. चालक का लाइसेंस प्रस्तुत करना दिन पूर्व देनी होगी। यदि आकस्मिक अथवा होगा अनयथा इस सम्बन्ध में सक्षम आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी सूचना तुरन्त स्तर से स्वीकृति उपरांत कार्यवाही लिखित में सम्बन्धित विभाग अधिकारी को देनी होगी। की जा सकती है"। Now this condition 92 read as In future, if any cold storage जैसा कि जयपुर दुग्ध संघ द्वारा ग्रामीण मार्ग की निविदा 'In future, if any cold storage built in will be की नयी शर्त संख्या 92 के तहत प्रावधान रखा है कि "in in milk procurement zones (Mahua, built future, if any cold storage will be built in milk procurement zones (Mahua, Dausa, Bassi, Chaksu, Dudu, procurement zones (Mahua, Dausa, Bassi, Dausa, Bassi, Chaksu, Dudu, Bindaika, Kaladera, Manpura Bindaika, Kaladera, Manpura Dudu, Machedi, Kotputli) for supply Machedi, Kotputli) for supply Bindaika, Kaladera, Manpura, Machedi, Kotputli) of milk and milk products. of milk and milk products. Then fresh tender will be for supply of milk and milk products. Then fresh Then contracted distributor invited after cancellation of tender will be invited after cancellation of will supply products from cold tender with previous previous tender with immediate effect for those storage to booth and shop immediate effect for those rural areas which will comes under these rural areas which will comes agency of procurement zones procurement zones for those rural supply areas for those rural supply area under these procurement which is comes Under these procurement

	/			•
		zones. उक्त बिन्दु नं. 92 में यह गोल-मोल शर्त लिख् गयी है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि ए अनुबन्ध/निविदा को समाप्त किया जायेगा अथवा उस अतिरिक्त नयी निविदा आमंत्रित की जावेगी। यदि सं द्वारा वितरक के साथ दो वर्ष का अनुबन्ध किया है तो बिन किसी शिकायत अथवा अनियमितता के मध्य में अ अनुबन्ध कैसे समाप्त किया जा सकता है जबिक न टेण्डर की प्रक्रिया उस स्थिति में की जा सकती है वि अनुबन्ध कता को अनुबन्ध समाप्त हो गया है। बिन अनुबन्ध समाप्ति के मध्य में नयी निविदा किस नियम व तहत जारी की जा सकती है तथा दोनों पक्षों की सहमि के बिना अनुबन्ध कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह	र्व area which is comes und these procurement zones. च ना ही वे के जा	which is comes under these procurement zones." Rate will be decided as per norms.
	12	इसके लिए वितरक को नये आवंटित कार्यक्षेत्र में वितरण कार्य हेतु दरें अतिरिक्त दी जायेंगी। यह स्पष्ट किया जान चाहिए। जैसा कि संघ द्वारा नयी शर्तों में यह प्रावधान रखा गया है कि सप्लाई अनुबन्धित वाहन से ही की जावेगी। यदि वितरक द्वारा दूसरा वाहन बदला जाता है तो इसके लिए	Condition 94 "Distributor is bound to supply milk & milk	संशोधित किया जाता है "यदि
		वाहन बदलने पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इस सम्बन्ध में आंश्रिक मानवीयता से सोचा जाय कि कोई भी घटना पहले सूचित करके नहीं होती है। क्योंकि जिस वाहन के साथ दुर्घटना हुयी है अथवा तकनीकी खराबी हुयी है तो एक ही नम्बर के दो वाहन नहीं होते हैं कि वाहन खराब हो गया उसी नम्बर की दूसरा वाहन उपयोग में ले लिया जाय। इस हेतु शर्त में आंशिक संशोधन किया जाय कि यदि ऐसी वितरक द्वारा वाहन बदला जाता है तो उसके बारे में विभाग अधिकारी को जानकारी देने के लिए	be checked randomly and If found supplying from vehicle other than contracted vehicle, a penalty of Rs.11,000 would be imposed for first time. Penalty of Rs.21,000 would be imposed for second time & distributor's firm would be suspended if found faulty at third time after approval from	वितरक द्वारा किसा पारास्ताथ में वाहन को बदला जाता है तो 24 घंटै के अंदर अनुभाग अधिकारी को इसकी जानकारी कारण सहित लिखित में उपलब्ध करनी होगी। लगाए जाने वाले वाहन का दस्तावेज एवं वाहन कितने समय तक लगया जाना है उसका उचित कारण लिखित में प्रस्तुत
		वितरक को एक अथवा दो दिन समय दिया जाय। यदि आकस्मिक अथवा आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी स्वीकृति बाद में लेनी होगी पहले सप्लाई क्षेत्र में सरस आउटलेट्स पर सप्लाई की व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु आपातकालीन स्थिति में किसी भी अन्य वाहन से भी बिना स्वीकृति के सप्लाई की जा सकती है। स्थिति में सुधार होने के बाद वाहन की क्या स्थिति है इस हेतु वितरक को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा तथा अन्य वाहन की स्वीकृति अथवा वाहन को सही करवाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी।	competent authority".	करना होगा"
	13	जैसा कि वाहन को दुर्घटनाओं से बचाने एवं सुरक्षित सप्लाई करने के लिए वाहन चालक पर दबाब नहीं बनाना भी एक सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि यदि वाहन चालक पर दबाब होता है कि सप्लाई लेट होने पर उनको शास्ती भरनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें वाहन का तेज रफ्तार से दौड़ाना होता है यदि कहीं भीड़-भाड़ होती हैं वहां पर भी उन्हें वाहन की चिन्ता किये बिना उल्टा सीधा वाहन दौड़ाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबको सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित एवं निर्वाध सप्लाई हेतु वाहन चालक पर अधिक दबाब बनाना उचित नहीं होगा। "दुर्घटना से देर भली" कृपया इस पर विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।	bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk & milk products would be imposed on distributor after enquiry	Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Recovery of loss amount of milk union agent will be done from distributor after enquiry and approval from competent authority.
1			in annendiy "A" of tender	Appendix "A" amended as per current statics of
				· von

_			
	दुग्ध वितरण करना संभव हे नहीं है वर्तमान में भी अलग अलग दो वाहनों से सप्लाई कि जा रही है अतः जिन माग पर दोनों समय सप्लाई की जा रही है उनमे दो वाहन मांगने का निविदा में संसोधन कि मांग रखते है।	f r	zone/area.
15	अप द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवंटित जोन में सप्लाई बढ़ने कि उपरांत अन्य मार्ग आवंटित कर निविदा कि जाएगी जिसमें हमारी मांग है अतिरिक्त सप्लाई बढ़ने पर उसी वितरक द्वारा वाहन कि वयवस्था कर सप्लाई वयवस्था सुचारु करवाई जाये।	supply arrangements in al	as " If there is an increase in the quantity of milk in any zone, then based on the quantity as per attached appendix in tender documents, it will be the full responsibility of the concerned distributor to supply it in all the areas of the allotted zone by deploying additional vehicles for the increase in supply. If the distributor refuses to supply in the entire area of the allotted zone by employing additional vehicles, then work would be allotted to another party only after getting written consent from him. Jaipur Milk Union will have full rights over it and decision
16	यदि किसी वितरक पर किसी वित्तय वर्ष में चेक अनादरित होने पर शास्ति आरोपित कर दी है। ततपश्यात अनुबंध अविध समाप्त होने पर अदेय प्रमाण पत्र संघ द्वारा जारी कर दिया है। तो वह वितरक पुनः आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता शास्ति व निविदा में अनुमत नहीं करना एक साथ दोनों शास्ति नहीं हो सकती अन्यथा अदेय प्रमाण पत्र जारी होने पर कोई भी वितरक निविदा प्रक्रिया में डिबार नहीं किया जा सकता न ही RTPP कि तहत उसे वंचित किया जा सकता है।	Existing Distributor whose five cheques are dishonoured because of distributor fauit & penalty imposed by Jaipur Dairy in any one financial year will not be allowed to participate in this tender since Financial Year 2019-20 onwards.	of MD JMU binding on this. Tender committee recommends that to enhance competition in tender this condition is deleted because in this tender we are taking payment in advance via NEFT/IMPS.

निविदा में आंशिक संशोधन के साथ साथ निविदा दस्तावेज में सलग्न अपेंडिक्स में भी दूध की वर्तमान मात्रा के अनुसार सुरक्षा राशि , बैंक गॉरंटी एवं क्रैट की सुरक्षा राशि के साथ साथ मांग के अनुसार वाहनों की संख्या में समीक्षा उपरांत संशोधित अपेंडिक्स निम्नानुसार

क्र. सं.	क्षेत्र संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का विवरण	अनुमानित कि.मी.	अनुमाि नत विक्री मात्रा लीटर	सप्लाई राउण्ड प्रातःकालीन / सांयकालीन	सुरक्षा राशि (लाख में)	बेंक गारन्टी (लाख में)	खाली क्रेंट्स की अपेक्षित सुरक्षा राशि (लाख में)	वाहन का प्रकार
-------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------	--	----------------





-										•
1	151	कोटपूतर्ल	(ख) पावटा, गोवर्धनपुरा चीर्क परागपुरा, बिड़ला फैक्ट्री, सरूर नरेहड़ा, केसवाना गांव आर्वि में टैम्पो लगाकर उपरोक्त जगहों पर सप्लाई करानी है।	र, त त त, ड़ ड़ समय 345+345= s ड़ किमी	1250	प्रातः कालीन/ सायंकालीन (दोनों समय		15.50	2.80	इन्सुलेटेड वाहन टाट 1109 टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन एवं 2 <u>पिकअप (पावटा)</u> गोवर्धनपुरा, परागपुरा, परागपुरा, सीमेन्ट फैक्ट्री नरेड़ा एवं सरूड़ इत्यादि एवं कोटपूतली तथा उसके आसपास के क्षेत्र
2	152	दूदू	महला, नासरौदा, गोड़ोत कड़वा का वास, मौखमपुरा बिचून, आकोदा, नरैना पविलया विगोलाव, हतूपुरा, साली साकून, पड़ासॉली, दांतरी, रामनगर, हरसौली, दूदू, गिदानी, सावरदा, पालू, गागरडु, सेवा, मांगलवाड़ा, गहलोता, छिरर, इत्यादि।	, 220+220= 440 किमी	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 पिकअप अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
3	153	लालसोट तुंगा	लालगढ़, गढ़, माधोगढ़, तुंगा, सोनढ़, रामगढ़ पधवारा, डीडवाना, लालसोट, सम्पूर्ण बगढ़ी बिलौना, मण्डावरी, खुर्रा माता एवं आसपास का क्षेत्र।	260 किमी	5000	प्रातःकालीन (एक समय)	2.50	5.80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
4	154	चाकसू	(क) बीलवा ग्राम, शिवदासपुरा, पदमपुरा, शीतलामाता, चाकसू (दोनों समय सप्लाई) (ख) कोधून करेड़ा, दतवास, सवासा, चन्दलाई, थली तितरिया, जयसिंहपुरा, झापदा, देहलाला, गरुड़वाशी, श्यामपुरा , बदली, हरभावता, घाडेल (एक समय सप्लाई)	220 किमी + 220 किमी	12000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	6.00	14.00	2.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909 एवं सांयकालीन सप्लाई टाटा ४०७ वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन (ख) चाकसू से पिकअप वाहन कोथून करेड़ा दत्तवास सवासा सप्लाई हेतु
5	155	दौसा–ए	पंचमुखी हनुमान जी, गोठला बस स्टेण्ड, शहीद की पुलिया, जटवाड़ा, श्याम सरोवर कॉलोनी, जयपुर तिराहा, पावरहाउस, संथल मोड़, बासड़ी मोड़, गिर्राज मन्दिर, सूर्य मन्दिर, सोमनाथ चौराहा, विशनपुरा, रॉडडा, बापी, सेंथल, गोलावास, कालाखो, सिकन्दरा चौराहा, सिकन्दरा गांव, गीजगढ़, भांडारेज गांव, सराई, लाखा, बहरामडा, खेड़ली, अचलपुरा इत्यादि	180+180= 360 किमी प्रातः+सांय	8000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.00	9.20	1.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन
6	155	दौसा– वी	सदर थाना, पी.जीत्र कॉलेज, मधुवन होटल, राजधानी अरपताल, हरियाणा धर्मकाटा, कुम्हार मोहल्ला, छोटा बाजार, डांक बंगला, मानक्लब, खटीक मोहल्ला, नागौरी मोहल्ला, बरकत चौराहा, मानगंज इत्यादि।	140+140= 280 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन द्वम च्यानच वत नजव तमुनपतमक वित क्ने उसस जतममजद्ध

	All Contract of the Contract o									
7	155	दौसा–सी	लालसोट बाईपास तिराहा गुप्तेश्वर मन्दिर, सरकार्र अस्पताल के सामने का क्षेत्र सेन्टमेरी स्कूल, आवासन मण्डल कॉलोनी, बावड़ी पाड़ा, जोर्श की कोठी, आलूदा, पापड़दा सारेड़ा, बड़ा गांव, राहुवास कल्लावास, नोगल राजावतान एवं आसपास का क्षेत्र।	ो 	8500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों सगय)	4.00	10.00	1.80	इन्सुलेटेड वाहन टाट 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन
8	156	चौमू	बड पीपली, ईंडन गार्डन, दादावास, रामपुरा डावड़ी, बस स्टेण्ड, जाहोता रोड, राजावास टाटियावास टोल, आनन्द लोक I—II, जैतपुरा गांव, जैतपुरा रीको, बराला होस्पीटल, चौमू शहर, हाड़ोता, मोरीजा इत्यादि।	. 160+160= 320 किमी प्रातः+सांग		प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.50	10.50	1.90	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अधवा समकक्ष क्षमता के वाहन
9	157	जोबनेर मण्डा	(क) मांचवा, कालवाड, पचार, जोबनेर, खेजदावास, बस्सीनागान, सुशान्त सिटी, आशियाना नया बॉस, पचार, रामकुई इत्यादि। (दोनों समय सप्लाई) (ख) भोजपुरा, पचकोड़िया, मण्डा, भैसलाना, भादवा, सिनोदिया, भारीजा, कालख, मुण्डवाडा, डयोढ़ी, कोढ़ी, प्रतापपुरा, आदि। (प्रातःकाल एक समय सप्लाई)	(क+ख) 220+140= 360 किमी प्रातः+सांय	5500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	2.50	6.50	1,20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के 2 वाहन
10	158	महुवा बालाजी	मानपुर चौराहा, मानपुर गांव, सिकराय, बालाजी मोड़, बालाजी, पाटोली, बालाहेड़ी, कीर्ति नंगला, महवा, हिण्डोन रोड, भरतपुर रोड, गणेश चौक, मंडावर रोड, मंडावर इत्यादि एवं आसपास का क्षेत्र।	320 किमी	6000	प्रातःकालीन (एक समय)	3.00	7.00	1.25	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
11	159	वस्सी बासखोह	दयारामपुरा, बेनाड़ा, चांबड़िया, मोहनपुरा, बासखोह, नईनाथ, बस्सी गांव, बस्सी मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र, दुधली, सामरिया रोड, कल्याण गेज मार्किट बस्सी, राजपुरा, रोजवाडी, भूड़ला, लवाण एवं आसपास का क्षेत्र।	170+170 =340 किमी	5000	प्रातःकालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	2.50	5.80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 पिकअप अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
12	160	फुलेरा सांभर	ज्योति कॉलेज बोराज रोड, बोराज, उगरियावास, भन्दे के बालाजी, ढिण्डा, हिरनोदा, रोजडी, काचरोदा, फुलेरा, सांभर, इत्यादि क्षेत्र।	190+190= 380 किमी प्रातः+सांय	9000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.50	10.50	1.90	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909. टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
13	161	वगरू	मंगलम सिटी, रामचन्द्रपुरा, वड़ के वालाजी, वम्बोरिया, ठिकरिया, सांझरिया, मनीपाल यूनिवर्सिटी, दहमी गांव, दहमी खुर्द, चिरोटा, रिको, रिको एरिया वगरू, तिकया, मैन बगरू, वैगस रोड, वालकनाथ बावा की ढाणी, आईटीआई कॉलेज, छितरोली, रवान इत्यादि	110+110= 220 किमी प्रातः+सांय	10500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	5.50	11.80	2,20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
14	162	जमुवाराम गढ़ आंधी	नायला मोड़, आमोमोड़, लागरियावास, सायपुरा गावं व मोड़, साईवाड़, पीपलियावास, चैनपुरा आरएसी, पालेड़ा, हीरावाला, जमुवारामगढ़ गांव, नकची घाटी, थौलाई, आंधी,	190 किमी	3000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	3.50	0.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR									
			भवानी कलां, रायसर मातासुल थली खवारानी, पालड़ी, सरजोली, खड़कड़ा, बुज, डोडा डूंगर, मानेाता एवं आसपास का क्षेत्र।	:						
15	163	रेनवाल मांजी	(क) रातिलया स्टेण्ड, बालावाला, बाणियावाली, टीलावाला, रेनवाल मांझी, पहाड़िया मोड़ आदि (दोनों समय सप्लाई) (ख) तेजावाला, चारणवाला, किशोरपुरा, हीरापुरा, झावड, रूपवास, मानपुरा, पहाड़ियां गांव, डाबला बुजुर्गं, मोहब्बतपुरा, कपूरावाला, लाखना, बानियाली, पवालिया, एवं आसपास का क्षेत्र। (प्रातःकालीन सप्लाई एक समय)		7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
16	164	सामोद अमरसर	काल्यावास, लक्ष्मी कॉलोनी, बिशनगढ़, बगवाड़ा, दौलतपुरा, खेराश्यामदास, विलोची, सनराईज होटल, चितवाड़ी बांसा, मानपुरा माचेड़ी, सामोद महार, धवली, राड़ावास, मारकी, अमरसर, हनूतपुरा, करीरी, सम्पूर्ण एरिया आसपास का क्षेत्र।	200 किमी	3500	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	4.50	0.75	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
17	165	मनोहरपुर विराट नगर	मनोहरपुर कस्बा, खोरा, लाङखानी, मेड, भामोद, नवरगपुरा, बीलवाडी, विराटनगर जवानपुरा, केवरा की ढाणी, बाघाबाँस आदि।	230 किमी	5500	प्रातःकालीन (एक समय)	2.50	6.50	1.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
18	166	आसलपुरा वेगस	(क) नाड़िया, गान्धीवस्ती, सिरसी गांव, सिरसी मोड़, सिरसी गोंव, सिरसी मोड़, सिरसी लेंक रोंड, अक्षित मिडोज, बिन्दायका गांव, जेडीए कॉलोनी, सिवार एरिया, निमेड़ा, मुण्डियारामसर, धानक्या, बेगस आदि। (दोनों समय सप्लाई) (ख) आसलपुर, आसलपुर फाटक, बोबास एवं आसपास का क्षेत्र इत्यादि। (प्रातःकालीन एक समय सप्लाई)	(क+ख) 180+80= 260 किमी प्रातः+सांय	10500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	5,50	11.80	2.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
19	167	शाहपुरा	(क) मनोहरपुर टोल के बाहर, मण्डी चौराहा, जोगी का बाग, शाहपुरा पावर हाउस, नाथावाला (दोनों समय सप्लाई) (ख) साईवाड़ मोड़, साईवाड़ गांव, बाड़ी जोड़ी, रामपुर आसपास का क्षेत्र आदि (पात: एक समय सप्लाई)	(क+ख) 220+180= 400 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3,50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
20	168	हिंगोनिया रेनवाल	हिंगोनिया, भैसावा, करणसर, हरसोली, किशनगढ़ रेनवाल, बापड़ी, ड्योड़ा, रामजीपुरा कला, रामजीपुरा खुर्द, नाथी का बास, मुण्डियागढ़, खेड़ी, नादरी, प्रतापुरा, व आसपास का क्षेत्र।	220+220=4 40 किमी	5000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	2.50	5,80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 च्यबानच अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
21	171	कालाडेरा गोविन्दगढ़	नीदड, जयरामपुरा, जाहोता, जालसू, रायथल, मण्डा रिको, होटल, बड़ी ढूंगरी, छोटी ढूंगरी, लालासर, बधाल, किशनमानपुरा, हस्तेड़ा, कालाडेरा, गोविन्दगढ़, टाकरड़ा, डोढसर इत्यादि।	225 किमी	2000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.00	2,50	0.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH									
22	172	कुण्डल बांदीकुई	खान भांकरी रोड, खांन भांकरी फाटक, कुण्डल, गुढ़ाकटला, पिछुपाड़ा, गूलर वौराहा, बांदीकुई सम्पूर्ण, बसवा, मुकरपुरा चौराहा एवं आसपास का क्षेत्र।	280 किमी	4500	प्रातःकालीन (एक समय)	2.00	5.50	1.00	इन्सुलेटेड टाटा 709 वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
23	173	खेजरोली निवाणा	भोपावास, हाथनोदा, नांगल भरड़ा, अमरपुरा, कालू का वास, तिगरिया, धानोता, बांस का टीबा, निवाणा, खेजरोली, सिंगोद, धोबलाई, ढोढसर, गोविन्दगढ़, उदयपुरिया, ईटावा भोपजी एवं हाड़ोता इत्यादि क्षेत्र।	1	2000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.00	2.50	0.50	इन्सुलेटेड टाटा 407 वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
24	174	झाग मौजमा बाद	जयसिंहपुरा, पीपला, भरत सिंह, नेवटा, खटवाड़ा, महापुरा महेन्द्रा सेज, कलवाड़ा, अजयपुराजपुरा, सिराणी, चिरोटा, बगरू झाग स्टेण्ड, रामपुरा ऊंटी, राताखेडा, झाग, मौजमाबाद, सावली, बिहारीपुरा, धमाणा आदि।	(क+ख) 190+190= 380 किमी प्रातः+सांय	8000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.00	9.20	1.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
25	176	तालाधौला , चंदवाजी	(क) दण्ड, लबाना, अचरोल, अमेठी, निम्स, चन्दवाजी (दोनों समय सप्लाई) (ख) भानपुर कला, चिताणु गांव, चादावास, राजपुरावास, तालाधौला, चिलपली मोड़, गढ़वाड़ी, गुणवता, समुरकुई आदि का आसपास का क्षेत्र। (प्रात: एक समय सप्लाई)	(क+ख) 170+130= 300 किमी प्रातः+सांय	7500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	9.00	1.60	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
26	179	कोटखाव दा कानोता	कानाता, नायला, खिजूरिया, सॉख, रूपपुरा, कोटखावदा, सांमरिया, अचलपुरा, पीलिया, देवगांव, काशीपुरा, बांसकाकरा, रूपाहेड़ी, रूपाड़ी टीबा, रूपाड़ी गांव आदि।	160 किमी	2500	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	3.00	0.60	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
27	180	फागी माधोराजपु रा	(क) हरसूलिया, भोजपुरा, माधोराजपुरा, हिग्गी रोड पर फागी कस्बे का सम्पूर्ण क्षेत्र, (दोनों समय सप्लाई) (ख) थला, चकवाड़ा, शंकरपुरा, नीमेड़ा, खेड़ा बालाजी, चांदमाकला, मेडवास, चौरू, लदाना, दतीली, चितोड़ा, पीपला एवं आसपास का क्षेत्र। (प्रात: एक समय सप्लाई)	(क+ख) 210+120= 330 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड -वाहन टाटा 709, टाटा ४०७ अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

उक्त संशोधन प्रबंध संचालक महोदय केस्वीकृति उपरांत जारी किये जाते है |

प्रभारी (निविदा प्रकोष्ट)